

पत्रांक- 2718 / 12-1 गोपेश्वर दिनांक 26 जून 2021.
सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरा नगर, फॉरेस्ट कॉलोनी,
देहरादून।

विषय:- मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 1471/2015 में राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग में देवल से धानई तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.94 है0 वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

सन्दर्भ:- उप वन संरक्षक, केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर का पत्रांक 5391/12-1, दिनांक 25.06.2021। प्रस्ताव संख्या **FP/UK/ROAD/64757/2020**.

महोदय,

जनपद चमोली में प्रस्तावित उपरोक्त विषयक देवल से धानई तक मोटर मार्ग निर्माण के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक, केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग के पत्रांक 5391/12-1, दिनांक 25.06.2021 एवं अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 गौचर के पत्रांक 1006/1सी., दिनांक 19.06.2021 (संलग्न) द्वारा आख्या आपको प्रेषित की गयी है। इस मोटर मार्ग के निर्माण हेतु मा0 क्षेत्रीय विधायक श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी, कर्णप्रयाग विधानसभा क्षेत्र द्वारा भी अनुरोध किया गया है। पूर्व में भी उप वन संरक्षक, केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग के पत्रांक 5073/12-1, दिनांक 02.06.2021 (संलग्न) एवं अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 गौचर के पत्रांक 817/1सी., दिनांक 28.05.2021 (संलग्न) द्वारा मोटर मार्ग निर्माण की महत्ता के दृष्टिगत बिन्दुवार आख्या आपको प्रेषित की गयी है। अतः अनुरोध है कि उक्त मोटर मार्ग के प्रस्ताव पर अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्न :- यथोपरि।

भवदीय

(अमित कंवर)

निदेशक/वन संरक्षक
नन्दादेवी बायोस्फियर रिजर्व, गोपेश्वर।

संख्या / ,दिनांकित।

प्रतिलिपि :- उप वन संरक्षक, केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(अमित कंवर)

निदेशक/वन संरक्षक
नन्दादेवी बायोस्फियर रिजर्व, गोपेश्वर।

संख्या / ,दिनांकित।

प्रतिलिपि :- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 गौचर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(अमित कंवर)

निदेशक/वन संरक्षक
नन्दादेवी बायोस्फियर रिजर्व, गोपेश्वर।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग गोपेश्वर।
Office of Divisional Forest Officer Kedarnath Wildlife Division, Gopeshwar.

Phone/Fax No-01372-252149

Email- dfokedarnath@gmail.com

पत्रांक:- 5391 / 12-1 गोपेश्वर
सेवा में,

दिनांक:- 25 जून 2021

प्रमुख वन संरक्षक एव नोडल अधिकारी,
वन संरक्षक इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी
उत्तराखण्ड देहरादून

द्वारा:- निदेशक / वन संरक्षक नन्दादेवी बायोस्फियर रिजर्व गोपेश्वर।
विषय:- मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या में राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग में देवल से धानई तक मोटर मार्ग के सम्बन्ध में।

संदर्भ:- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 गौचर का पत्रांक 1006/1 सी0 वन
दिनांक 19-06-2021

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के कम में अवगत करना है अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग गौचर के उक्त संदर्भित पत्र द्वारा विषयार्कित मोटर मार्ग में चाही गई बिन्दुओं से सम्बन्धित सूचनाओं का विवरण इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया है। सुलभ संदर्भ हेतु अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 गौचर का पत्र मय संलग्नक प्रेषित किया जा रहा है।

अतः अनुरोध है कि विषयार्कित प्रकरण में अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नक:- यथोपरि।

भवदीय,



(अमित कंवर)

प्रभागीय वनाधिकारी,
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग गोपेश्वर।



ई-मेल / ऑनलाइन अपलोड

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग, गौचर (चमोली)।

Phone/Fax No. :- 01363-240614

Email:- eepwdgauchar@gmail.com

पत्रांक- 1006 / 1सी0 (वन)
सेवा में,

दिनांक 19/06/2021

प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी
उत्तराखण्ड देहरादून।

द्वारा-

उपवन संरक्षक कैदारनाथ वन्यजीव प्रभाग गोपेश्वर

विषय:-

मा0मु0घो0 सं0 1471/2015 मे राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग में देवल से धानई तक मोटर मार्ग के नवनिर्माण हेतु 0.910 हे0 वन पंचायत भूमि एवं मक डिस्पोजल हेतु 0.030 हे0 कुल 0.940 हे0 वन पंचायत भूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

सन्दर्भ:-

आपका पत्रांक सं0 2736 /FP/UK/ROAD /38601/2019 दिनांक 6.5.2021, प्रभागीय वनाधिकारी कैदारनाथ वन्यजीव प्रभाग गोपेश्वर ऑनलाइन ई0डी0एस0 दिनांक 09.06.2021, इस कार्यालय का पत्रांक सं0- 817/1सी0 वन दिनांक 28.5.2021 एवं मा0 विधायक श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी, 06 कर्णप्रयाग विधानसभा उत्तराखण्ड का पत्रांक सं0 558/विधायक/2021 दिनांक 16.06.2021

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्रों के अनुपालन में अवगत कराना है कि देवल से धानई तक मोटर मार्ग के वनभूमि प्रस्ताव पर भारत सरकार वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा कहा गया है कि उपरोक्त मोटर मार्ग निर्माण का कोई औचित्य नहीं है। जिस सम्बन्ध में इस कार्यालय के संदर्भित पत्र 817/1सी0 वन दिनांक 28.5.2021 द्वारा पूर्व में ही मोटर मार्ग की महत्ता को बिन्दुवार अंकित करते हुये स्वीकृति हेतु अनुरोध किया गया था। मोटर मार्ग के नवनिर्माण हेतु मा0 विधायक श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी, 06 कर्णप्रयाग विधानसभा उत्तराखण्ड द्वारा भी अपने पत्र के माध्यम से मोटर मार्ग की महत्ता को अंकित करते हुये स्वीकृति हेतु अनुरोध किया गया है।

अतः आपसे पुनः अनुरोध है कि ग्रामीणों की समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुये ग्रामवासियों को सामाजिक रूप से मोटर मार्ग से जोड़ने हेतु सम्यक रूप से विचार करते हुये स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करें।

संलग्न- मा0 विधायक श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी, 06 कर्णप्रयाग विधानसभा उत्तराखण्ड का

पत्रांक सं0 558/विधायक/2021 दिनांक 16.06.2021 की छायाप्रति।

भवदीय

19/06/21

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 गौचर

पत्रांक /1सी0 वन तददिनांक

प्रतिलिपि- जिलाधिकारी चमोली को सादर सूचनार्थ एवं इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृप्या अपने स्तर से भी उपरोक्त को पत्र लिखने की कृपा करें।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 गौचर

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।
Office of Divisional Forest Officer Kedarnath Wildlife Division, Gopeshwar।

पत्रांक:-

5073/12-1 गोपेश्वर,

दिनांक 2-6-2021

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय,
इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी,
देहरादून।

द्वारा:-

निदेशक/ वन संरक्षक, नन्दादेवी वायोस्फियर रिजर्व गोपेश्वर।

विषय:-

मा0मु0घो0 सं0 1471/2015 में राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र कर्णप्रयाग में देवल से धानई तक मोटर मार्ग नव निर्माण के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:-

आपका ऑनलाइन ई0डी0एस0 दिनांक 03/05/2021।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत करना है कि प्रस्तावक विभाग ने अपने पत्र द्वारा कि0मी0 27 में दृष्टिगोचर है। उक्त मोटर मार्ग ग्राम धानई के लिये प्रस्तावित है जिसकी अधिकतर जनसंख्या/ आबादी मोटर मार्ग से काफी ऊंचाई पर आच्छादित है, इसके अतिरिक्त मोटर मार्ग से सम्बन्धित अन्य तथ्य निम्नवत् है -

- 1- यह मोटर मार्ग कर्णप्रयाग-नौटी-पैठाणी (राज्य मार्ग) से 2.00 किमी0 एवं वर्तमान में निर्मित नौटी-छातौली-कल्याणी-चौरासैण (PMGSY के अन्तर्गत) से लगभग 2.25 किमी0 दूरी पर स्थित है।
- 2- इस ग्राम को मोटर मार्ग का लाभ पहुंचाने हेतु चयनित संरक्षण उपयुक्त है, जो कि सीधे कर्णप्रयाग-नौटी-पैठाणी (राज्य मार्ग) मोटर मार्ग से जुड़ा है। तथा आर्थिक दृष्टि से भी ग्रामीणों हेतु लाभप्रद है।
- 3- वर्षा के समय में गर्भवती महिला / बीमार व्यक्तियों को मोटर मार्ग तक पहुंचाने में 40 से 45 मिनट का समय लग जाता है। जबकि मोटर मार्ग बनने के बाद यह समय मात्र 10 से 15 मिनट का होगा, जिससे ग्रामीणों को जीवन बचाने में अत्यन्त सहायता मिलेगी।
- 4- यह मोटर मार्ग ग्रामीणों की सहमति एवं वन सरपंच की अनुमति के बाद न्यूनतम वृक्षों के पातन को ध्यान में रख कर ही चयनित किया गया है। अन्यत्र स्थल उपयुक्त न होने एवं अन्य ग्राम सभा द्वारा सहमति न मिलने के कारण उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए पहाड़ की विषम परिस्थितियों एवं जीवन सम्बन्धी आवश्यकताओं हेतु उक्त मोटर मार्ग की स्वीकृति हेतु विचार करने की कृपा करें। सुलभ संदर्भ हेतु अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 गौचर के पत्रांक 817/1सी0(वन) दिनांक 28/05/2021 की छायाप्रति संलग्न।

अतः अनुरोध है कि विषयांकित प्रकरण में अग्रेस्तर कार्यावाही करने की कृपा करें।

संलग्नक:- यथोपरि।

भवदीय,
(अमित कंवर)
प्रभागीय वनाधिकारी,
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।

संख्या

5073/12-1

दिनांकित

प्रतिलिपि:- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 गौचर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(अमित कंवर)
प्रभागीय वनाधिकारी,
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग, गौचर (चमोली)।

ई-मेल/ऑनलाइन अपलोड

File No. :- 01363-240614

Email:- eepwdgauchar@gmail.com

8/7 / 1सी0 (वन)

दिनांक 28/05/2021

जवा में,

उपवन संरक्षक
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग
गोपेश्वर।

विषय:-

मा0मु0घो0 सं0 1471/2015 में राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग में देवल से धानई तक मोटर मार्ग के नवनिर्माण हेतु 0.910 हे0 वन पंचायत भूमि एवं मक डिस्पोजल हेतु 0.030 हे0 कुल 0.940 हे0 वन पंचायत भूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

सन्दर्भ:-

आपका ऑनलाइन ई0डी0एस0 दिनांक 08.5.2021 एवं अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड देहरादून का पत्रांक सं0 2738 /FP/UK/ROAD /38601/2019 दिनांक 8.5.2021

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के अनुपालन में अवगत कराना है कि देवल से धानई मोटर मोटर मार्ग मा0मु0घो0 सं0 1471/2015 के अन्तर्गत आच्छादित है। यह मोटर मार्ग Google Map/Google Earth में कर्णप्रयाग-नौटी-पैठाणी मोटर मार्ग के कि0मी0 27 में दृष्टिगोचर है। इस सम्बन्ध में आपको यह अवगत कराना है कि धानई ग्राम जिसके लिये यह मोटर मार्ग प्रस्तावित है कि अधिकतर जनसंख्या/आबादी मोटर मार्ग से काफी ऊँचाई पर आच्छादित है। इसके अतिरिक्त मोटर मार्ग से सम्बन्धित अति-आवश्यक तथ्य निम्नवत् है:-

- 1- यह मोटर मार्ग कर्णप्रयाग-नौटी-पैठाणी (राज्य मार्ग) से 2.00 कि0मी0 एवं वर्तमान में निर्मित नौटी-छातौली-कल्याणी-चौरासैण (PMGSY के अन्तर्गत) से लगभग 2.25 कि0मी0 मोटर मार्ग की दृष्टि से दूरी पर स्थित है।
- 2- इस ग्राम को मोटर मार्ग का लाभ पहुंचाने हेतु चयनित संरक्षण उपयुक्त है। जो कि सीधे कर्णप्रयाग-नौटी-पैठाणी (राज्य मार्ग) से जुड़ा हुआ है। जो कि आर्थिक दृष्टि से भी ग्रामीणों हेतु लाभप्रद है।
- 3- वर्षा के समय में गर्भवती महिला/बीमार व्यक्तियों को मोटर मार्ग तक पहुँचने में 40 से 45 मिनट का समय लग जाता है। जबकि मोटर मार्ग बनने के उपरान्त यह समय मात्र 10 से 15 मिनट का होगा, जिससे ग्रामीणों को जीवन बचाने में अत्यन्त सहायता मिलेगी।
- 4- यह मोटर मार्ग ग्रामीणों की सहमति एवं वन सरपंच की अनुमति के बाद न्यूनतम वृक्षों के पातन को ध्यान में रखते ही चयनित किया गया है। अन्य कहीं से भी संरक्षण ले जाने पर अन्य ग्रामसभा द्वारा सहमति भी नहीं दी जा रही है तथा स्थल भी उपयुक्त नहीं है एवं वृक्षों की संख्या भी अधिक आयेगी।

अतः महोदय से अनुरोध है कि उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये पहाड़ की भौगोलिक एवं विषम परिस्थिति एवं जीवन संबंधी आवश्यकता होने के कारण इस मोटर मार्ग की स्वीकृति हेतु विचार करने की कृपा करें।

भवदीय

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 गौचर

पत्रांक / 1सी0 वन तददिनांक

प्रतिलिपि- सहायक अभियन्ता प्रथम निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 गौचर को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 गौचर